न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 377/2022 दायर दिनाँक 06.09.2022

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मोतीराम पुत्र अर्जुनराम, 2. मेघाराम पुत्र अर्जुनराम समस्त जाति जाट, निवासी बांसा, तहसील मौलासर जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामचन्द पुत्र बगसाराम, जाति जाट निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार मौलासर।

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:—

1. श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादी।
2. श्री मो0 रफीक एडवोकेट प्रतिवादी सं0 01।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **22.09.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण की वर्तमान में खातेदारी का खेत गलती से खसरा सं0 564 रकबा 0.0800 हैक्टे0 वाकै मौलासर दर्ज हो गया, जबकि वादीगण ने उक्त भूमि धनराज पुत्र रामकिशन सांभरिया, निवासी मौलासर, जौराराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी पाबुपुरा व राजुराम पुत्र किसनाराम थोरी निवासी निमोद को जरिये विक्रय पत्र के दिनांक 17.04.2004 को खरीदी थी तथा मौके पर वास्तविक व भौतिक रूप से कब्जा संभाल लिया था, तथा वादीगण ने उक्त खरीद सुदा भूमि के चारो तरफ दिवार निकाल ली, जिसका नामान्तरकरण वादीगण के नाम से खसरा सं0 891/256 रकबा 0.10 बीघा अर्थात 10 बिस्वा का नामान्तरकरण दिनांक 20.08.2005 को हो गया, जिसका इन्द्राज नजरी नक्शा में भी दर्ज हो गया, नामान्तरकरण पंजिका जमाबन्दी की नकल व पटवारी द्वारा जारी किया गया नजरी नक्शा की नकल साथ में पेश है।

यह है कि हाल ही में पेमाईस में हमारी कब्जा काश्त व खरीद सुदा 10 बिस्वा अर्थात 0.0800 हैक्टे0 भूमि की खातेदारी खसरा सं0 565 की बजाय खसरा सं0 564 में दर्ज कर दी, तथा इसी माफिक राजस्व नक्शा में भी गलत अंकन कर दिया गया, जबकि हमारी क्रय सुदा व कब्जा सुदा 0.10 बीघा भूमि खसरा सं0 565 में दर्ज नही करके गलत खातेदारी खसरा सं0 564 में दर्ज कर दी, और प्रतिवादी सं0 01 रामचन्द्र की खातेदारी का गलत अंकन वादीगण की भूमि खसरा सं0 565 में दर्ज कर दी, तथा पूर्व में प्रतिवादी रामचन्द्र के नाम से दिनांक 05.03.2004 को खसरा सं0 256/1 रकबा 7 [illegible] कर राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में भी प्रतिवादी रामचन्[illegible] अंकन कर दिया, जो पूर्व में किये गये [illegible] है लेकिन हाल ही में पिछले व[illegible] खसरा सं0 564 रकबा 0.0800 हैक्टे0 व प्रतिवादी सं0 01 के नाम [illegible] खसरा सं0 565 रकबा 0.0600 हैक्टे0 की गलत खातेदारी दर्ज कर द[illegible]था राजस्व रेकर्ड में भी 564 की जगह 565 दर्ज कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:38:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादीगण इस प्रकार है:–

यह है कि खसरा सं0 564 रकबा 0.0800 हैक्टे0 भूमि वाके मौलासर की खातेदारी खसरा सं0 565 रकबा 0.0800 हैक्टे0 में दर्ज की जाकर दुरूस्ती की जावें, तथा खसरा सं0 565 रकबा 0.0600 हैक्टे0 भूमि की खातेदारी खसरा सं0 564 रकबा 0.0600 हैक्टेर दर्ज की जावें। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 की तरफ से वकील मो0 रफीक ने इकबालिया जवाब व वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। जरिये राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया गया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 564 रकबा 0.0800 हैक्टर के स्थान पर खसरा सं0 565 रकबा 0.0600 हैक्टर वादीगण के नाम से व खसरा सं0 565 रकबा 0.0600 हैक्टे0 के स्थान पर खसरा सं0 564 रकबा 0.0800 हैक्टे0 प्रतिवादीगण रामचन्द्र के नाम से दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, डिक्री पर्चा जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 22.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:38:43 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 377 / 2022 दायर दिनाँक 06.09.2022

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मोतीराम पुत्र अर्जुनराम, 2. मेघाराम पुत्र अर्जुनराम समस्त जाति जाट, निवासी बांसा, तहसील मौलासर जिला— नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामचन्द पुत्र बगसाराम, जाति जाट निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. तहसीलदार मौलासर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 22.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट वादी व श्री मो0 रफीक एडवोकेट प्रतिवादी सं0 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 564 रकबा 0.0800 हैक्टर के स्थान पर खसरा सं0 565 रकबा 0.0600 हैक्टर वादीगण के नाम से व खसरा सं0 565 रकबा 0.0600 हैक्टे0 के स्थान पर खसरा सं0 564 रकबा 0.0800 हैक्टे0 प्रतिवादीगण रामचन्द्र के नाम से दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—................. खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 22.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन जो कि डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:38:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner